न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 50 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

शेखर प्रजापति ..... प्रथम पक्ष

बनाम

संचरी देवी वगैरह .....द्वितीय पक्ष

की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
-12-2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, बुण्डू के अप्राथमिकी सं०–18 / 2017 दिनांक–10 / 04 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद जगीनी विवाद के कारण उत्पन्न हुआ है। **प्रथम पक्ष गवाही–** प्रथन पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 जयराम प्रजापति ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह केस जनीन के विवाद को लेकर हुआ है। द्वितीय पक्ष की संचरी देवी मेरे बड़े पिता हीरा प्रजापति से 10 डी० जनीन 10–15 साल पूर्व खरीदी है, चूँकि द्वितीय पक्ष 10 डी० जनीन खरीदा है और 10 डी० से ज्यादा पर घेरा देना चाह रहे थे इसी शक पर मेरे भाई ने यह केस किया है। यह बात सत्य है कि द्वितीय पक्ष का 10 डी० खरीदगी जमीन पर हमलोगों का कोई विवाद नहीं है बल्कि यदि 10 डी० से ज्यादा कब्जा करने की बात होगी तो विवाद होगा। केस चलने के बाद से अभी तक उभय पक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, द्वितीय पक्ष का महावीर प्रजापति 1½ – 2 साल से लकवा ग्रस्त है उसकी ओर से भी कोई लड़ाई झगड़ा की संभावना नहीं है। प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 शेखर प्रजापति ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह विवादजमीन संबंधी है, जिसका खाता नं०–204 प्लॉट नं०–1983 है। मेरे बड़े पिताजी के द्वारा संचरी देवी को जो 10 डी० जमीन बंचा गया है उस पर मेरा कोई आपत्ति दावा नहीं है, खरीदगी 10 डी० से ज्यादा द्वितीय पक्ष लेगा तो मुझे आपत्ति होगी। घटना 16 / 09 / 2017 का है, द्वितीय पक्ष जब गड्ढा खोद रहा था तो मैं बोला कि गड्ढा सही जगह खोद रहे हो तो वे बोले कि हाँ सही जगह पर खोद रहे हैं तब मैं बोला कि गड्ढा आप लोग मेरी जमीन	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश टिप्पण रहित

पर खोद रहे हैं। मैं बोला कि आप मापी करा लीजिए उसके बाद गड्ढा खोदिए, द्वितीय पक्ष काम बन्द कर दिया। थाने के आदेश पर द्वितीय पक्ष ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के यहाँ मापी का आवेदन दिया जिसके आलोक में सीमांकन वाद सं०–11/16–17 के तहत जमीन का मापी हुआ, यह बात सत्य है कि केस होने के बाद से उभय पक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है।

द्वितीय पक्ष गवाही–

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 हेमन्त प्रजापति ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह विवाद जमीन को लेकर है। यह बात झूठा है कि शेखर प्रजापति के जमीन को दबा कर संचरी देवी घर बना रही है जब से केस चला है विवादित जमीन पर कार्य बन्द है इसी विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्ष में मनमुटाव है। मनमुटाव को लेकर गाली–गलौज मैं नहीं सुना हूँ, प्लॉट नं०–1983 में 10 डी० जमीन को छोड़कर शेष जमीन पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है, वर्त्तमान में विवादित जमीन पर लड़ाई झगड़ा होने का कोई संभावना नहीं है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 आशोक प्रजापति ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मुझे शेखर प्रजापति ने केस किया है, जमीन विवाद को लेकर केस किया है, विवादित जमीन हमलोगों का खरीदा हुआ जमीन है। विवादित जमीन में घर बना हुआ है और कुछ खाली है, खाली जमीन में हमलोग घर बना रहे थे इसे ही लेकर उभय पक्ष में विवाद है। जमीन का मापी 11/05/2017 को कराए हैं। मापी सरकारी अमीन से कराए हैं। अभी उभय पक्ष में कोई विवाद नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद है। दिनांक–11/05/2017 को अंचल कार्यालय बुण्डू द्वारा विवादित जमीन की मापी करायीजा चूकी है, जिससे विवाद का मूल कारण ही समाप्त हो चुका है। सारे गवाहों एवं कारण पृच्छा से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष में शांति भंग नहीं हुई है, वाद की कार्रवाई के दौरान भी भविष्य में शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः वाद की कार्रवाई बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।

07/12/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।